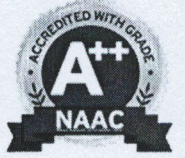




श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
बी-४ कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-११००१६



क्रमांक : एफ-८(१)ला.ब.शा.रा.सं.वि./छात्रावास/२०२६-२०२७/

दिनांक :

निविदा आमंत्रण सूचना

निम्नलिखित कार्य हेतु भोजनालय संचालन के उचित श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से मुहरबन्द प्रतिशत दर निविदायें आमंत्रित की जाती हैं।

निविदा सं.	कार्य का नाम	धरोहर राशि (रु) (EMD)
एफ-८(१)/एल.बी.एस.एन.एस. यू/छात्रावास/२०२६-२७/	विश्वविद्यालय के छात्रावास भोजनालय का संचालन	60,000/-

1.	तकनीकी एवं वित्तीय बोली का प्रारूप जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	
2.	तकनीकी बोली खोलने की अंतिम तिथि एवं समय	
3.	वित्तीय बोली खोलने की अंतिम तिथि एवं समय	

तकनीकी बोली में सफल निविदाकर्ता की वित्तीय बोली उपस्थित निविदाकर्ताओं के समक्ष खोली जाएगी।

कार्यकाल: सफल ठेकेदारों को प्रथमतः एक वर्ष के लिए कार्यदेश जारी किया जायेगा। जिसे आवश्यकता एवं अनुशंसा के आधार पर (एक-एक वर्ष) करके दो बार और बढ़ाया जा सकता है कुल मिलाकर यह टेण्डर तीन वर्ष के लिये मान्य रह सकता है। निविदा की पूरी अवधि के दौरान किसी भी कारण से स्वीकृत दरों में कोई वृद्धि नहीं की जायेगी (सरकार द्वारा समय-समय पर करों की दरों में संशोधन को छोड़कर)।

निष्पादन सुरक्षा राशि : सफल बोलीदाताओं को कुल 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपये) का माँग पत्र/सावधि जमा रसीद के रूप में किसी अनुसूचित बैंक द्वारा श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम जारी किया गया हो तथा नई दिल्ली में देय हो जमा करवाना अनिवार्य होगा।

धरोहर राशि (EMD) : अनुबन्ध दिये जाने के बाद असफल बोलीदाताओं को धरोहर राशि (EMD) वापस कर दी जायेगी, लेकिन सफल बोलीदाता को निष्पादन सुरक्षा राशि जमा करने के उपरान्त वापस की जायेगी।

पात्रता मापदंड : आवेदक अपने आवेदन के साथ स्व अभिप्रमाणित वस्तु एवं सेवा कर पंजीकरण संख्या, आधार कार्ड एवं बैंक खाते का विवरण, स्थायी खाता संख्या, किसी सरकारी/स्वायत्तशासी/निजि संस्था में कम से कम दो वर्ष तक 100 व्यक्तियों को भोजन कराने का अनुभव प्रमाण-पत्र, Food वैध लाईसेन्स की प्रति तथा स्थाई निवास प्रमाण-पत्र की प्रति। यदि कोई आवेदक उपरोक्त कागजातों का साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ होता है तो उसका आवेदन बिना कोई कारण बताये निरस्त कर दिया जायेगा।

तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा को अलग-अलग लिफाफे में निर्धारित तिथि तक जमा करवाना अनिवार्य होगा।

विश्वविद्यालय के पास किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

ठेकेदार की जिम्मेदारियाँ, नियम एवं शर्तें निम्नलिखित है।

- 1) कुल भोजन करने वाले नियमित छात्रों की संख्या लगभग 100 तक होगी।
- 2) पाचकों एवं कर्मचारियों का आधार कार्ड/पहचान पत्र आदि संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 3) प्याज-लहसुन रहित निम्नलिखित आहार बनाना होगा।

प्रतिदिन प्रातःकाल का नाश्ता (समय- 09:00 से 09:45)	दोपहर का भोजन (समय-01:00 से 02:00)	शाम का नाश्ता/ स्नैक्स (समय- 05:00 से 05:30)	रात्रि का भोजन (समय-08:00 से 09:30)
चाय के अतिरिक्त पराठा/ दलिया नमकीन/दलिया मीठा/ काले चने फ्राई/उपमा/पोहा/पूड़ी सब्जी/ब्रेड पकौड़ा/इडली सांभर/वड़ा सांभर/ मीठी सेमियाँ	दाल, चावल, सब्जी, भुजिया, रोटी, अचार, रायता एवं सलाद के साथ पूर्णाहार। (पत्तागोभी/फूलगोभी/ब्रोकली/बैंगन /सीताफल/परवल/कटहल/भिण्डी/ कोपता/सोया-चाप/करेला एवं मिक्स वेज)	चाय एवं बिस्किट/ समोसा/रस्क/आलू पकौड़ा/ गोभी पकौड़ा/ पास्ता/मट्ठी/ब्रेड पकौड़ा/ पोहा	दाल, चावल, सब्जी, भुजिया, रोटी, अचार, रायता एवं सलाद के साथ पूर्णाहार। (पत्तागोभी/फूलगोभी/ब्रोकली/बैंगन /सीताफल/परवल/कटहल/भिण्डी/ कोपता/सोया-चाप/करेला एवं मिक्स वेज)

- 4) प्रतिदिन सब्जी, ऋतु के अनुसार बदलकर एवं अधिष्ठाता द्वारा छात्रों की गठित भोजन समिति के सदस्य एवं संचालक की सहमति से साप्ताहिक मैन्यू के अनुसार देनी होगी।
- 5) प्रत्येक रविवार सायं स्पेशल भोजन-खीर, पूड़ी, मटर-पनीर, छोले, पापड़, अचार, रायता एवं सलाद रहेगा। परिवर्तित भोजन, पालक-पनीर, आलू की सब्जी, कढ़ी, रायता आदि प्याज-लहसुन रहित/निर्धारित मैन्यू भोजन सूची के अनुसार।
- 6) प्रत्येक मास अधिष्ठाता छात्रों की भोजन समिति गठित करेंगे तथा छात्र एवं भोजनालय संचालक के सहयोग से मैन्यू का निर्धारण करेंगे। तदनुसार भोजन का निर्माण करना आवश्यक होगा।
- 7) उत्तम स्तर का भोजन देना होगा। अधिष्ठाता/उप-अधिष्ठाता/प्रबन्ध समिति/निरीक्षण समिति के आकस्मिक निरीक्षण करने पर यदि भोजन का स्तर/गुणवत्ता ठीक नहीं पाया गया एवं लिखित में तीन बार चेतावनी देने पर भी भोजन की गुणवत्ता में यदि सुधार नहीं किया जाता है तो कार्यादेश (अनुबन्ध) निरस्त कर दिया जायेगा और सुरक्षित धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- 8) भोजन छात्रों को भोजनालय कक्ष में टेबल पर परोसना होगा।
- 9) ठेकेदार/अधिकृत प्रतिनिधि को भोजन के समय भोजनालय में उपस्थित रहना होगा।
- 10) किसी भी परिस्थिति में बासी भोजन परोसना पूर्णतः निषिद्ध होगा। बासी भोजन कराने पर उस समय के भोजन का मूल्य निरस्त किया जा सकता है, यह अधिकार अधिष्ठाता का होगा।
- 11) भोजनालय की सामग्री/उपकरण/बर्तन आदि टूटने-फूटने व कम होने पर उसकी राशि सुरक्षित धनराशि में से काट ली जायेगी।
- 12) भोजनालय ठेके पर दी गयी पूर्ण अवधि में चलाना होगा। पूर्ण-अवधि में न चलाने पर धरोहर राशि जब्त करते हुए संस्था द्वारा यह कार्य आपकी जोखिम एवं लागत पर किसी अन्य माध्यम से पूर्ण किया जायेगा। अधिक भुगतान की स्थिति में वह राशि ठेकेदार से वसूली जायेगी।
- 13) रसोई और भोजन क्षेत्र की साफ सफाई और रख-रखाव की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। इस सम्बन्ध में उच्चतम सम्भव मानकों की अपेक्षा की जाती है। खाना परोसने के पश्चात् प्रति-दिन भोजनालय कक्ष/ पाकशाला कक्ष की साफ-सफाई करना अनिवार्य होगा। भोजनालय में अस्वच्छता गंदगी होने की स्थिति में प्रथम बार रुपये 500/ तथा द्वितीय बार ऐसा करने पर रुपये 1000/- का निर्धारण कर अधिष्ठाता/उप-अधिष्ठाता/प्रबन्ध समिति/निरीक्षण समिति दण्डित कर सकते हैं।

✓

- 14) एक माह में सामान्यतया अवकाश चाहने वाले छात्र का प्रार्थना पत्र एक दिन पूर्व आने पर अधिकतम 4 दिन का अवकाश स्वीकृत किया जायेगा व इस अवधि की भोजन राशि भी बिल में से कम करनी होगी।
- 15) पूजावकाश/शीतावकाश/प्रतियोगिता/NCC में लगभग 15 दिन का जो छात्र अवकाश लेना चाहेंगे उनका उतने दिन का भोजन शुल्क कम करना होगा। इस अवधि में 4 दिन का अवकाश अलग से मान्य नहीं होगा।
- 16) छात्रावासीय छात्रों के आगन्तुकों का भोजन जिनका निवास अधिष्ठाता द्वारा स्वीकृत हो उनका नकद कूपन द्वारा मान्य होगा। अतिथियों हेतु भोजन दर, साधारण/स्पेशल प्राशासनिक स्वीकृति एवं निर्देशानुसार निर्धारित की जायेगी।
- 17) छात्रों का भोजनालय होने के कारण भोजनालय में महिला कर्मचारी को रखना पूर्णरूपेण निषिद्ध रहेगा। अर्थात् ऐसा आवेदन अस्वीकार्य होगा।
- 18) बाहर से पका हुआ भोजन लाना तथा बना कर बाहर ले जाना निषिद्ध होगा। ऐसा करने पर आर्थिक दण्ड या ठेकेदारी निरस्तीकरण अधिष्ठाता की अनुशांसा पर विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकता है।
- 19) अनुमोदित निविदादाता को कार्यादेश जारी किये जाने से पूर्व निविदा स्वीकृति के 07 दिन में रुपये 500/- के Non-Judicial Stamp पर अनुबन्ध निष्पादित कराना होगा।
- 20) **FSSAI** द्वारा निर्धारित मानदण्डों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
- 21) भोजनालय ठेकेदार के बिल से नियमानुसार आयकर तथा माल सेवाकर पर कर की कटौती की जायेगी।
- 22) ऐसे भोजनालय ठेकेदार आवेदन न करें जो इस विश्वविद्यालय भोजनालय सेवा अवधि से पहले भी बीच में ही छोड़ कर चले गये हों।
- 23) किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली/NCR होगा।
- 24) कैटर को भारत/दिल्ली सरकार द्वारा समय - समय पर लागू होने वाले सभी श्रम कानूनों का पालन करना होगा। जैसे: भविष्य निधि अधिनियम, न्यूनतम वेतन अधिनियम, निर्धारित कार्य घंटे तथा वेतन जारी करने।
- 25) विश्वविद्यालय से निविदा दस्तावेज प्राप्त करने हेतु भुगतान शुल्क 500/- विश्वविद्यालय वेबसाइट से निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं।

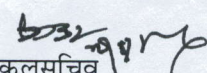
उपर्युक्त विवरण एवं मानकों के अनुसार सम्बन्धित व्यक्ति/संस्था ठेकेदारी पर भोजनालय संचालनार्थ अपना तकनीकी एवं वित्तीय बोली का प्रोफार्मा पूर्ण रूप से भरकर एवं धरोहर राशि (EMD) के साथ छात्रावास अधिष्ठाता कार्यालय में निर्धारित तिथि एवं समय तक प्रस्तुत करें।

दोनों निविदाएं खुले हुए लिफाफे में होने या टेप से बन्द न होने पर अस्वीकार्य होगी।


कुलसचिव

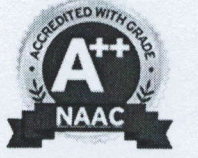
सूचनार्थ :- प्रतिलिपि

- 1) अध्यक्ष छात्रावास प्रवेश/प्रबन्ध समिति
- 2) मुख्य सतर्कता अधिकारी
- 3) कुलानुशासक
- 4) कुलपति/वित्ताधिकारी के निजी सचिव
- 5) उपकुलसचिव लेखा/विकास
- 6) सहायक कुलसचिव शैक्षणिक/प्रशा.
- 7) सूचनापट्ट विश्वविद्यालय / छात्रावास
- 8) संगणक केन्द्र को, उक्त सूचना विश्वविद्यालय वेबसाइट पर प्रसारित करने हेतु प्रेषित ।


कुलसचिव



श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
बी-४ कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-११००१६



तकनीकी बोली का प्रोफार्मा

1. संविदाकार/ठेकेदार का नाम : _____
2. स्थाई पता : _____
3. वर्तमान पता : _____
4. टेलीफोन नम्बर : _____
5. मोबाईल नम्बर : _____

आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें।

- 1) किसी सरकारी/ स्वायत्तशासी/निजी संस्था में कम से कम दो वर्ष तक 100 व्यक्तियों को भोजन कराने का अनुभव प्रमाण पत्र।
- 2) स्थायी खाता संख्या (PAN No.)
- 3) आधार कार्ड की प्रति
- 4) आखिरी 03 वर्ष (FY 2023-24, 2024-25, 2025-26) का आयकर रिटर्न प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति
- 5) वस्तु एवं सेवा कर विभाग में पंजीकरण की प्रति (GST)
- 6) धरोहर राशि (EMD) 60,000/- का माँग पत्र/सावधि जमा रसीद के रूप में किसी अनुसूचित बैंक द्वारा श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम जारी किया गया हो।
- 7) स्थाई निवास प्रमाण-पत्र की प्रति
- 8) Food वैध लाईसेन्स की प्रति
- 9) भारत सरकार द्वारा जारी उद्यम पंजीकरण प्रमाण पत्र (यदि हो तो) संलग्न करें।

ठेकेदार या अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

तिथि _____

हस्ताक्षरकर्ता का नाम _____

स्थान _____

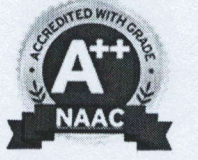
पद _____

मोहर



श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

बी-४ कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-११००१६



वित्तीय बोली का प्रोफार्मा

कुलसचिव महोदय

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

बी-४, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र,

नई दिल्ली-११००१६

विषय : छात्रावास, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के लिये भोजनालय संचालनार्थ अनुबंध।

संविदाकार/ठेकेदार का नाम _____

छात्रावास के भोजनालय संचालन के लिये हमारा कोटेशन है _____ (शब्दों में)

_____ (प्रति दिन एवं प्रति छात्र, कर के साथ)

इसके अतिरिक्त अन्य सभी लागू कर जो नीचे दिये गये हैं।

Catering Charges per day per person for Inclusive of all taxes.(In Rs.)	
--	--

निविदा की सभी नियम और शर्तें तथा विशेषकर निम्न के लिये सहमति देते हैं:

- 1) निविदा संविदा में गड़बड़ी से सम्बन्धित नियम और शर्तें
- 2) भोजनालय के दैनिक कामकाज से सम्बन्धित नियम
- 3) नियम एवं नियम और शर्तों के उल्लंघन के लिये दंड

ठेकेदार या अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

तिथि _____

हस्ताक्षरकर्ता का नाम _____

स्थान _____

पद _____

मोहर